IN THE COURT OF LAL BAHADUR PRASAD DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-XX, PATNA (BIHAR)

A.B.P. No. 3210/2026

[Arising out of Rajeev Nagar P.S. case no. 416 of 2023]

Present:- Lal Bahadur Prasad
D.A.S.J. - XX, Patna

---

1. Accused: Umesh Rai, Aged 64 years, S/o- Ran Sagar Singh, R/o- Village- Karkat Post Karkat, Thana Karkat, Dist- Rohtas.

.....……..... Petitioner

VS

State of Bihar

..... Opposite Party

Sl. No.	Date of Order of Proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
	01.09.2026:	1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक **उमेश राय** के **राजीव नगर थाना काण्ड संख्या 416/2023** अंतर्गत धारा 188, 406, 420, 327, 120(B) एवं 34 I.P.C. में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्राप्त कराई गई है। 2. सूचक रंजीत कुमार रणवीर का केस प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.07.2023 को समय करीब 04.45 बजे दिन में राजीव नगर थाना के गश्ति दल के साथ आवास बोर्ड के भूखण्ड के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आवास बोर्ड के अर्जित भुखण्ड करीब 1 कट्ठा पर अतिक्रमण करने के नियत से अवैध तरीके से पाईलिंग और ईंट जोड़ाई का कार्य मकान बनाने हेतु किया जा रहा था। पुलिस बल को देखकर सभी लोग भागने लगे। भागते हुए व्यक्ति को पकड़ कर नाम पुछने पर उसने अपना नाम 1. अमीत राय बताया। आगे पूछताछ करने पर ठिकेदार 2. बलिन्दर एवं मकान निर्माण करवाने वाले मालिक का नाम **3. उमेश राय (आवेदक)** बताया। बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिग्रहित भुखण्ड पर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य करना एवं निर्माण कार्य हेतु सामग्री गिराना भुखण्ड कि भौतिक स्थिति के साथ छेड़छाड़ एवं सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के नियत से बल पूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसलिये यह प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। 3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन को प्रचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक द्वारा कोई अन्य जमानत आवेदन इस न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः गलत, मनगढ़ंत एवं असत्य है। इस वाद के दो अभियुक्त अमीत राय एवं बलिन्दर को माननीय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय द्वितीय के द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आवेदक न्यायालय के सभी शर्तों को मानने तथा बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। 4. अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि उचित आदेश पारित किया जाये ।	

IN THE COURT OF LAL BAHADUR PRASAD DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-XX, PATNA (BIHAR)

A.B.P. No. 3210/2026

[Arising out of Rajeev Nagar P.S. case no. 416 of 2023]

Present:- Lal Bahadur Prasad
D.A.S.J. - XX, Patna

	Contd. **01.09.2026:**	**5.** उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। आवदेक पर अधिहरित संपत्ति पर बाउण्ड्री करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा 73 में आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है। प्रस्तुत काण्ड में आवेदक पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार एवं आरोप की प्रकृति पर विचार करते हुए न्यायालय यह पाती है कि प्राथी को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आदेश के एक माह के अंदर विचारणीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में दस हजार (**10,000**) रुपये के दो समान राशि के जमानतदार विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक **उमेश राय** को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश इस **शर्त** के साथ दिया जाता है कि – 1. आवेदक का एक जमानतदार माता–पिता में से एक होंगे। 2. आवेदक पुनः इस तरह का अपराध करते हैं तो न्यायालय के संज्ञान में आते हीं न्यायालय जमानत रद्द कर सकते हैं। **लेखापित एवं शुद्धित** **Sd/-** **अपर सत्र न्या0XX,पटना**	